कार्यालय निदेशक शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक- 24/ 81 -2002-S-1(1) दिनांक चण्डीगढ़ 22-11-2002

नियमानसार जांच उपरान्त वृन्दा इन्टरनेशनल स्कूल एस.जी. एम. नगर फरीदाबाद को केवल शैक्षिक सत्र 2001-2002 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में (वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की) कक्षाओं में आर्टस, कॉमर्स तथा विज्ञान संकाय प्रारंभ करने की स्थायी मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है:-

1. संबंधित विद्यालय के प्रबंधक 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार / विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहींकरेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/ छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/ सुविधाऐं अपने खर्च पर उपलब्ध करायेंगे।

2. दस जामा दो शिक्षा प्रणाली की संबंधित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात केवल उन्हीं को प्रध्यापक पद पर लगाया जाए जिन्होंने एम0 ए0 / एम0 एस0 सी0 / एक काम के संबंधित विषय में कम से कम 52 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हो तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों को पालना की जाएगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियां भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/ शर्तों के अंतर्गत की जायेगी ।

3. सभी छात्र / छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबंध सुनिश्चित किया जाऐं ।

4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जाएगी तथा प्रबंधक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जाएगी ।

5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालन करना होगा ।

6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा संकाय शुरू किए जाऐंगे जिनकी टीचिंग के लिए आवश्यक साधन / सुविधाऐं विद्यालय में उपलब्ध हो तथा जिनकी अनुमति विभाग द्वारा दी गयी हो।

7. सरकार/ विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी हिदायतें / निदेशों का पालन किया जाएगा ।

8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पदलन किया जाएगा ।

9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड निवासी जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा ।

10. यह भी सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय के पुस्ताकालय में प्रति छात छः के हिसाब से पुस्तकें उपलब्ध हो ।

11. हरियाणा शिक्षा विभाग / हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा अनुमोहित पुस्तकें ही विद्यालय में पढ़ाई जाऐं ।

Attested true copy

Principal
VRINDA INTERNATIONAL SCHOOL
S.G.M. Nagar, Faridabad

12. संस्था में कार्यरत स्टाफ के छः मास के वेतन के बराबर बकाया रु.15,750/- राशि जिला शिक्षा अधिकारी के नाम एक महीने में बैंक में प्लैस करवायी जाए ।

13. विभाग द्वारा मान्यता किसी भी समय नोटिस देकर वापिस ली जा सकती है।

14. भविष्य में छात्र/ छात्राओं का प्रवेश विद्यालय की क्षमता / नार्म अनुसार ही किया जायेगा ।

15. संस्था को हरियाणा विद्यालय एक्ट 1995 के अधिनियम 1999 की धारा 3(1) के जो नियम बनेंगे वह मान्य होंगे ।

सुरीना राजन
निदेशक माध्यामिक शिक्षा हरियाणा
चण्डीगढ़

पृ0क0 सम दिनांक चण्डीगढ़

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है ।

1. प्रबंधक वृन्दा इन्टरनेशनल स्कूल एस.जी. एम. नगर फरीदाबाद

2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी ।

3. जिला शिक्षा अधिकारी फरीदाबाद को उनको क्रमांक G-I/09/9237 दिनांक 03/11/09 के संदर्भ में

Attested true copy

अधीक्षक विद्यालय-1
कृते निदेशक माध्यमिक शिक्षा हरियाणा,
चण्डीगढ़

Principal
VRINDA INTERNATIONAL SCHOOL
S.G.M. Nagar, Faridabad